रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06122021-231633
CG-DL-E-06122021-231633

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4650]	नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 6, 2021/अग्रहायण 15, 1943
No. 4650]	NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 6, 2021/AGRAHAYANA 15, 1943

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5021(अ).—केन्द्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 101 की उप-धारा (2) के खंड (ञ), (ट), (यज) और (यञ) के साथ पठित धारा 22 की उप धारा (3) और (4), धारा 96 की उपधारा (1) और धारा (97) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण (केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जांच-पड़ताल और जब्ती और अपराधों का संयुक्तीकरण और जुर्माना जमा कराना) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) 'अधिनियम' से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) अभिप्रेत है;

(ख) 'केंद्रीय प्राधिकरण' से अधिनियम की धारा 10 के अधीन स्थापित केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) 'महानिदेशक' से अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त महानिदेशक अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में दिये गये हैं।

3. जब्त या पेश किए गए दस्तावेजों, अभिलेखों, या वस्तुओं की प्रतियां या उद्धरण लेने की प्रक्रिया- (1) जहां अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1) के खंड (क) और खंड (ग) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक या उनके द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य अधिकारी, या जिला कलेक्टर द्वारा किसी दस्तावेज, अभिलेख या वस्तु को जब्त किया गया हो, या प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई हो, महानिदेशक या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी या जिला कलेक्टर, जैसा भी मामला हो, इसे जब्ती, या प्रस्तुत करने की तारीख से बीस दिनों की अवधि के भीतर उस व्यक्ति को वापस कर देगा, जिससे ऐसा दस्तावेज, अभिलेख, या वस्तु जब्त की गई थी, या प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी।

(2) महानिदेशक या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी या जिला कलेक्टर जिसने उप-नियम (1) के अधीन दस्तावेज जब्त किए हैं या प्रस्तुत करने की अपेक्षा की है, ऐसे दस्तावेज़, अभिलेख या वस्तु को वापस करने से पहले संगत दस्तावेज, अभिलेख, या वस्तु की प्रकृति के अनुसार इसकी प्रतियां या उद्धरण ले सकता है:

परंतु यह कि महानिदेशक या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य अधिकारी या जिला कलेक्टर उस व्यक्ति, जिससे ऐसे दस्तावेज, अभिलेख या वस्तु जब्त की गई थी या प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी, से महानिदेशक या अधिकारी या जिला कलेक्टर, जैसा भी मामला हो, को *ऐसी* प्रतियां या उद्धरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है ।

(3) दस्तावेज, अभिलेख, या वस्तु की उप-नियम (2) के अधीन ली गईं प्रतियां या उद्धरण, प्ररूप I में निर्धारित एक शपथ-पत्र के माध्यम से उस व्यक्ति द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे, जिससे ऐसे दस्तावेज, अभिलेख, या वस्तु को जब्त किया गया है, या प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है:

परंतु यह कि जहां ऐसा व्यक्ति इस तरह से अधिप्रमाणित करने से इनकार करता है, ऐसे दस्तावेज, अभिलेख या वस्तु को उसकी प्रतियों या उसके उद्धरणों को जिला आयोग, जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर ऐसा दस्तावेज, अभिलेख या वस्तु को जब्त किया गया है या प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है, द्वारा अधिप्रमाणित किए जाने के बाद ही वापस किया जाएगा।

4. त्वरित या प्राकृतिक अपक्षय के अध्यधीन वस्तुओं का निपटान- (1) जहां, अधिनियम की धारा **22** की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य अधिकारी या जिला कलेक्टर द्वारा कोई वस्तु जब्त की जाती है और महानिदेशक या उनके द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य अधिकारी या जिला कलेक्टर, जैसा भी मामला हो, की राय है कि ऐसी वस्तु त्वरित या प्राकृतिक अपक्षय के अध्यधीन है, तो उसके द्वारा ऐसी वस्तु को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जा सकता है।

(2) जहां उप-नियम (1) के अधीन कोई वस्तु बेची जाती है, संपत्ति की बिक्री के तुरंत बाद, उसकी बिक्री की आय, ऐसी बिक्री और अन्य आकस्मिक व्ययों की कटौती के बाद, भारत की समेकित निधि में जमा की जाएगी:

परंतु यह कि जहां, ऐसी जांच जिसके लिए ऐसी वस्तु को जब्त किया गया था, के क्रम में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है या कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या, यदि कोई, कार्यवाही शुरू की गई है, ऐसे व्यक्ति को ऐसी कार्यवाही में या उससे उत्पन्न होने वाली किसी अपील में दोषमुक्त कर दिया गया है, बिक्री की आय का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाएगा जिससे वस्तु जब्त की गई थी।

5. अपराधों का संयुक्तीकरण - (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी भी बात के होते हुए भी और अधिनियम की धारा 96 के उपबंधों के अध्यधीन, किसी अभियोजन आरंभ होने से पहले या उसके बाद, अधिनियम की धारा 88 और 89 के अधीन दंडनीय पहली बार किए गए किसी भी अपराध का मुख्य आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संयुक्तीकरण किया जा सकता है ।

(2) कोई भी व्यक्ति, अभियोजन के आरंभ होने से पहले या बाद में, अधिनियम की धारा 96 के अधीन विनिर्दिष्ट अपराधों के संयुक्तीकरण के लिए समय-समय पर केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा यथानिर्दिष्ट प्ररूप में उप-नियम (1) में संदर्भित संयुक्तीकरण अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है।

(3) उप-नियम (2) के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर, संयुक्तीकरण अधिकारी आवेदक से कोई अन्य जानकारी मांगेगा, जिसे ऐसे आवेदन की जांच के लिए संगत माना जा सकता है और ऐसी जानकारी आवेदक द्वारा संयुक्तीकरण अधिकारी से

पत्राचार प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि, जिसकी अनुमति संयुक्तीकरण अधिकारी द्वारा दी जाए, के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

(4) संयुक्तीकरण अधिकारी, आवेदक की व्यक्तिगत सुनवाई के बाद और उक्त आवेदन की सामग्री को ध्यान में रखते हुए, निर्णय पर पहुंचने का कारण बताते हुए, या तो संयुक्तीकरण राशि का संकेत देते हुए आवेदन को अनुज्ञात कर सकता है या ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर सकता है:

परन्तु यह कि आवेदन तब तक अस्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर न दिया गया हो और ऐसे आदेश में ऐसी अस्वीकृति के आधारों का उल्लेख न किया गया हो:

परन्तु यह भी कि आवेदक अधिकार के रूप में यह दावा नहीं करेगा कि उसके अपराध का संयुक्तीकरण किया जाए:

परंतु यह और कि जहां आवेदक के मामले में स्पष्ट विरोधाभास, विसंगतियां या अपूर्णता हो, संयुक्तीकरण प्राधिकारी द्वारा किसी संयुक्तीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(5) उप-नियम (4) के अधीन पारित आदेश की एक प्रति आवेदक को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या ई-मेल द्वारा आवेदन में दिए गए पते पर भेजी जाएगी और केंद्रीय प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी डाली जाएगी।

(6) जहां अभियोजन पहले ही आरंभ किया जा चुका है, संयुक्तीकरण अधिकारी यथोचित आवेदन दाखिल करके संयुक्तीकरण राशि सहित संयोजन को अदालत के संज्ञान में ला सकता है, और ऐसे आवेदन पर अदालत का निर्णय बाध्यकारी होगा।

(7) आवेदक, संयुक्तीकरण प्राधिकारी या न्यायालय, जैसा भी मामला हो, के द्वारा भुगतान के आदेश के अनुसार केंद्रीय प्राधिकरण को संयुक्तीकरण राशि का भुगतान उप-नियम (4) के अधीन आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर या उप-नियम (6) के अधीन न्यायालय के आदेश के अनुसार करेगा और संयुक्तीकरण अधिकारी को ऐसे भुगतान का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा:

परंतु यह कि एक बार भुगतान की गई संयुक्तीकरण राशि, उन मामलों को छोड़कर जहां न्यायालय उसी अपराध के लिए अभियोजन से प्रतिरक्षा की छूट को अस्वीकृत कर देती है, वापस नहीं की जाएगी।

(8) इस नियम के अधीन संयोजन की राशि निम्नलिखित तालिका के अनुसार होगी:

क्रम संख्या	अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट अपराध	संयुक्तीकरण राशि
1	धारा 88	लागू जुर्माने के न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अध्यधीन अधिकतम का पचास प्रतिशत
2	धारा 89	लागू जुर्माने के न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अध्यधीन अधिकतम का पचास प्रतिशत

परंतु यह कि संयुक्तीकरण राशि, संयुक्तीकरण अधिकारी द्वारा निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी:

(क) संगत अपराध करने वाले कथित व्यक्ति का आचरण;

(ख) उपभोक्ताओं को हुए नुकसान सहित कथित अपराध की गंभीरता;

(ग) अधिनियम के उल्लंघन का पूर्ववृत्त;

(घ) संगत अपराध करने के लिए कथित व्यक्ति के नियंत्रण से परे किसी भी परिस्थिति की मौजूदगी;

(ङ) प्रक्रियाएं जो भविष्य के उल्लंघनों को कम करने के लिए शुरू की गई हैं;

(च) कथित अपराध के परिणामस्वरूप संगत अपराध करने के आरोप में कथित व्यक्ति को होने वाला कोई आर्थिक लाभ;

(छ) भविष्य के उल्लंघनों को रोकने के लिए शर्तें;

(ज) किसी ऐसे उपभोक्ता का मुआवजा जिसे नुकसान हुआ हो;

(झ) क्या संगत अपराध करने का आरोप लगाने वाले व्यक्ति ने कोई अन्य दीवानी या नियामक प्रवर्तन कार्रवाई की है; तथा

(ञ) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में संगत कोई अन्य कारक।

(9) जहां किया गया अपराध उप-नियम (8) में तालिका में निर्दिष्ट दोनों श्रेणियों के अंतर्गत आता है, तो ऐसे मामलों में संयुक्तीकरण राशि उस अपराध के लिए निर्धारित राशि होगी जिसके लिए उच्च संयुक्तीकरण राशि निर्धारित की गई है।

6. संयुक्तीकरण अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य - (1) जहां संयुक्तीकरण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि नियम 5 के उप-नियम (2) के अधीन अपराध के संयुक्तीकरण के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति ने उसके समक्ष कार्यवाही में सहयोग किया है और माल, वस्तु, प्रक्रिया, प्रणाली या सेवा से संबंधित तथ्यों का पूर्ण और सही प्रकटीकरण किया है, वह, यदि इस तरह के संयुक्तीकृत मामले में अभियोजन की शुरुआत नहीं की गई है, तो ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसा कि संयुक्तीकरण अधिकारी उपयुक्त समझे, ऐसे व्यक्ति को अभियोजित किए जाने से छूट प्रदान कर सकता है।

(2) संयुक्तीकरण अधिकारी, संयुक्तीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन पर इसके फाइल करने के साठ दिनों के भीतर निर्णय देने का प्रयास करेगा।

(3) संयुक्तीकरण अधिकारी, मुख्य आयुक्त के समक्ष उसे प्राप्त आवेदनों और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण दर्शाते हुए एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

7. अधिनियम की धारा 21 और धारा 96 के अधीन जुर्माना जमा कराना -अधिनियम की धारा 21 और धारा 96 के अधीन संगृहीत जुर्माने को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाएगा।

प्ररूप I

शपथपत्र का प्रारूप

लेखा-बहियों और अन्य दस्तावेजों की जब्ती

(नियम 3(3) का संदर्भ लें)

मैं, ...सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री _________ जिसकी आयु लगभग __________ वर्ष है और __________ में निवास कर रहा हूँ, सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ और ईमानदारी से निम्नानुसार कथन करता हूँ:

1. मैं ___________ का एकमात्र मालिक/साझेदार/निदेशक/कर्मचारी हूं (यहां फर्म/कंपनी/इकाई का नाम दें) जिसका कार्यालय/व्यवसाय/रजिस्ट्रीकृत कार्यालय _________ में है।

2. मैं उल्लेख करता हूं कि _________ को लगभग ___ पूर्वाह्न/अपराह्न, महानिदेशक/ महानिदेशक द्वारा अधिकृत अधिकारी/जिला कलेक्टर ने _________ से उस परिसर का निरीक्षण/जांच की गई, जहां मैं/फर्म/कंपनी/इकाई, अर्थात् ________व्यवसाय कर रहा हूं/रही है। इस तरह की जांच के दौरान, महानिदेशक/ महानिदेशक द्वारा अधिकृत अधिकारी/जिला कलेक्टर ने व्यवसाय से संबंधित कुछ दस्तावेजों/अभिलेखों/वस्तुओं को जब्त/प्रस्तुत करने की अपेक्षा की है।

3. मैं उल्लेख करता हूं कि जांच के दौरान जब्त किए गए/प्रस्तुत किए जाने हेतु आवश्यक दस्तावेजों/अभिलेखों/वस्तुओं की व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यकता है और इसलिए यह आवश्यक है कि उन्हें तुरंत मुझे लौटा दिया जाए।

4. मेरे अनुरोध पर, महानिदेशक/ महानिदेशक द्वारा अधिकृत अधिकारी/जिला कलेक्टर ने ऐसे दस्तावेजों/अभिलेखों/ वस्तुओं के उद्धरण या प्रतियां प्रदान करने के अध्यधीन, जांच-पड़ताल के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों/अभिलेखों/ वस्तुओं को वापस करने के लिए सहमत हो गए हैं। महानिदेशक/ महानिदेशक द्वारा अधिकृत अधिकारी/जिला कलेक्टर ने मुझे उन्हें आवश्यक उद्धरण या प्रतियों का विवरण दिया है।

5. मैं उल्लेख करता हूं कि मैंने महानिदेशक/ महानिदेशक द्वारा अधिकृत अधिकारी/जिला कलेक्टर की उपस्थिति में आवश्यक उद्धरण/प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।

6. मैं यह पुष्टि और घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र के साथ संलग्न उद्धरण/प्रतियां _______ को जब्त किए गए दस्तावेजों/अभिलेखों/वस्तुओं के सही, प्रामाणिक और वास्तविक उद्धरण/प्रतियां हैं और इसकी पुष्टि में, मैंने ऐसे दस्तावेजों/अभिलेखों के उद्धरणों/प्रतियों के प्रत्येक पृष्ठ पर या प्रतियों पर आद्यक्षर किया है और ऐसी वस्तु पर लगे लेबल पर अंगूठे का निशान लगाया है और आद्याक्षर किया है।

7. मैं जानता हूँ कि इस शपथ पत्र में दी गई सत्यनिष्ठ घोषणाओं के आधार पर, महानिदेशक/ महानिदेशक द्वारा अधिकृत अधिकारी/जिला कलेक्टर __________ को उपरोक्तानुसार जब्त किए गए दस्तावेजों/अभिलेखों/वस्तुओं को वापस करने के लिए सहमत हुए हैं।

8. मैं एतद्वारा किसी भी समय दस्तावेजों/अभिलेखों/ वस्तुओं या उसके किसी भी अंश को, जैसा कि महानिदेशक/ महानिदेशक द्वारा अधिकृत अधिकारी/जिला कलेक्टर द्वारा अपेक्षित हो या किसी भी जांच कार्यवाही जो महानिदेशक/महानिदेशक द्वारा अधिकृत अधिकारी/जिला कलेक्टर द्वारा मेरे या फर्म/कंपनी/इकाई, अर्थात् ______, या दोनों के विरुद्ध शुरू की जा सकती है, से पहले या किसी भी न्यायनिर्णयन कार्यवाही से पहले प्रस्तुत करने का वचन देता हूं।

(अभिसाक्षी के हस्ताक्षर)

तारीख _____ दिन ______ को मेरे सामने सत्यनिष्ठा से पुष्टि की और हस्ताक्षर किए नोटरी पब्लिक________

[फा. सं. जे-09/09/2020-सीपीयू]

अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2021

S.O. 5021(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 22, sub-section (1) of section 96 and section 97 read with clauses (j), (k), (zh) and (zj) of sub-section (2) of section 101 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Consumer Protection (Search and Seizure and Compounding of offences by the Central Authority and Crediting of Penalty) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) 'Act' means the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019);

(b) 'Central Authority' means the Central Consumer Protection Authority established under section 10 of the Act;

(c) 'Director General' means the Director General appointed under sub-section (2) of section 15 of the Act.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Procedure of taking copies or extracts of documents, records, or articles seized or produced.—(1) Where the Director General or any other officer authorised by him in this behalf, or the District Collector, in the exercise of his powers under clause (a) and clause (c) of sub-section (1) of section 22 of the Act, has seized, or require production of, any document, record, or article, the Director-General or any other officer authorized by him in this behalf or the District Collector, as the case may be, shall return the same to the person from whom such document, record, or article was seized, or required for production, within a period of twenty days from the date of such seizure or production;

(2) The Director General or any other officer authorized by him in this behalf or District Collector who has seized or require production under sub-rule (1), may take copies of, or extracts from, the relevant document, record, or article, as its nature permits, before returning such document, record, or article:

Provided that the Director-General or any other officer authorized by him in this behalf or District Collector may require the person from whom such document, record, or article was seized or required for production to take and provide such copy or extract to the Director-General or officer or District Collector, as the case may be.

(3) The copies or extracts of the document, record, or article made under sub-rule (2) shall be authenticated by way of an affidavit as set out in Form I by the person from whom such document, record, or article is seized or required for production:

Provided that where such person refuses to so authenticate, such document, record, or article shall be returned to him only after copies thereof or extracts therefrom have been taken as authenticated by the District Commission within the local limits of whose jurisdiction such document, record or article has been seized or required to be produced.

4. Disposal of articles subject to speedy or natural decay.—(1) Where any article is seized by the Director-General or any other officer authorised by him in this behalf, or the District Collector in exercise of his powers under sub-section (1) of section 22 of the Act and the Director-General or any other officer authorized by him in this behalf or District Collector, as the case may be, is of the opinion that such article is subject to speedy or natural decay, he may cause such article to be sold by public auction.

(2) Where any article is sold, under sub-rule (1), the sale proceeds thereof, after deduction of the expenses of such sale and other incidental expenses thereto, shall, immediately after the sale of the property, be credited to the Consolidated Fund of India:

Provided that where, pursuant to the investigation in the course of which such article was seized, no order is passed or proceeding initiated or, if any proceeding is initiated, such person is acquitted in such proceeding or in any appeal arising therefrom, the amount of the sale proceeds shall be paid to the person from whom the article was seized.

5. Compounding of offences. — (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and subject to the provisions of section 96 of the Act, any offence committed for the first time punishable under sections 88 and 89 of the Act may, either before or after the institution of any prosecution, be compounded by an officer so authorised by the Chief Commissioner.

(2) Any person may either before or after the institution of prosecution, make an application in the form as specified by the Central Authority with the approval of the Central Government from time to time to the compounding officer referred to in sub-rule(1), to compound the offences specified under section 96 of the Act.

(3) On receipt of an application under sub- rule (2), the compounding officer shall call for any other information from the applicant which may be considered relevant for examination of such application and such information shall be furnished by the applicant within a period of thirty days or within such extended period as may be allowed by the compounding officer, from the date of receipt of communication from the compounding officer.

(4) The compounding officer, after giving personal hearing to the applicant and after taking into account the contents of the said application, may, by order, giving reasons of arriving at the decision, either allow the application indicating the compounding amount or reject such application:

Provided that the application shall not be rejected unless an opportunity has been given to the applicant of being heard and the grounds of such rejection are mentioned in such order:

Provided further that the applicant shall not claim, as a matter of right, that his offence be compounded:

Provided also that no compounding shall be allowed by the compounding officer where there are apparent contradictions, inconsistencies or incompleteness in the case of the applicant.

(5) A copy of order passed under sub- rule (4) shall be sent to the applicant by registered post or speed post or by e-mail at the address given in the application and also be placed on the website of the Central Authority.

(6) Where the prosecution has already been instituted, the compounding officer may bring the composition, including the compounding amount, to the notice of the court by filing appropriate application, and shall be bound by the decision of the court on such application.

(7) The applicant shall within a period of thirty days from the date of receipt of order under sub-rule (4) allowing the compounding of offences, or order of the court under sub-rule (6), pay to the Central Authority the compounding amount as ordered to be paid by the compounding officer or the court, as the case may be, and shall furnish the proof of such payment to the compounding officer:

Provided that the compounding amount once paid shall not be refunded except in cases where the court rejects grant of immunity from prosecution for the same offence.

(8) The amount for composition under this rule shall be as provided in the following table:

Sl. No.	Offence specified under the Act	Compounding amount
1	Section 88	fifty per cent of the maximum, subject to minimum of twenty-five per cent of the applicable fine.
2	Section 89	fifty per cent of the maximum, subject to minimum of twenty-five per cent of the applicable fine.

Provided that the compounding amount shall be decided by the compounding officer having regard to:

(a) the conduct of the person alleged to have committed the relevant offence;

(b) gravity of the alleged offence, including the harm suffered by consumers;

(c) history of violations of the Act;

(d) existence of any circumstances beyond the control of the person alleged to have committed the relevant offence;

(e) processes which have been introduced to minimize future violations;

(f) any economic benefits accruing to the person alleged to have committed the relevant offence as a result of alleged offence;

(g) conditions to deter future violations;

(h) compensation of any consumers who may have suffered harm;

(i) whether the person alleged to have committed the relevant offence has undergone any other civil or regulatory enforcement action; and

(j) any other factors relevant in the facts and circumstances of the case.

(9) Where the offence committed falls under both sections specified in the table in sub-rule (8), the amount so compounded, in such cases shall be the amount as determined for the offence for which a higher compounding amount has been prescribed.

6. **Powers and duties of compounding officer**. – (1) Where the compounding officer is satisfied that any person who has made the application for compounding of offence under sub-rule (2) of rule 5 has cooperated in the proceedings before him and has made full and true disclosure of the facts relating to the goods, articles, process, system or service, he may, if the prosecution has not been instituted with respect to the case so compounded, grant to such person exemption from being prosecuted, subject to such conditions as the compounding officer may deem fit to impose.

(2) The compounding officer shall endeavour to decide every application for compounding within sixty days of its filing.

(3) The compounding officer shall file before the Chief Commissioner, a monthly report indicating the details of applications received by him and actions taken thereon.

7. Credit of penalty under section 21 and section 96 of the Act. —The penalty collected under section 21 and section 96 of the Act shall be credited to the Consolidated Fund of India.

Form I

FORM OF AFFIDAVIT

Seizure of books of account and other documents

(Refer Rule 3(3))

I, son of/wife of/daughter of Mr. _________, aged about __________ years and residing at __________________ do hereby solemnly affirm and sincerely state as follows:

1. I am the sole proprietor/Partner/Director/employee of ___________________ (here give the name of the firm/Company/entity) having its Office/carrying on business/Registered Office at _____________.

2. I say that on ______ at about ___a.m./p.m., the Director General/officer authorised by the Director General/District Collector, by name of _____, inspected/searched the premises at _________________ where I/the firm/company/entity, namely ________ am/is carrying on business. During the course of such search, the Director General/officer authorised by the Director General/District Collector has seized/required the production of certain documents/records/articles relating to the business.

3. I say that the documents/records/articles seized/required to be produced during the search are required for carrying on business and hence it is necessary that they be returned to me immediately.

4. At my request, the Director General/officer authorised by the Director General/District Collector has agreed to return the documents/records/articles so seized during the search, subject to my providing him extracts or copies of such documents/records/articles. The Director General/officer authorised by the Director General/District Collector has given me the details of the extracts or the copies required by him.

5. I say that I have caused the extracts/copies so required to be taken in the presence of the Director General/officer authorised by the Director General/District Collector.

6. I confirm and declare that the extracts/copies annexed to this Affidavit are the true, authentic and genuine extracts/copies of documents/records/articles seized on _______ and in confirmation thereof, I have initialed each page of the extracts or copies of such document or record / initialed and placed thumb impression on a label affixed to such article.

7. I am aware that based on the solemn declarations given in this Affidavit, the Director General/officer authorised by the Director General/District Collector has agreed to return the documents/records/articles seized as aforesaid on __________.

8. I hereby undertake to produce the documents/records/articles or any part thereof at any time as may be required by the Director General/officer authorised by the Director General/District Collector or before any inquiry proceedings or before any adjudication proceedings that may be initiated by the Director General/officer authorised by the Director General/District Collector against me or against the firm/company/entity, namely________, or against both.

(SIGNATURE OF THE DEPONENT)

Solemnly affirmed and signed before me on this _____ day of _____ Notary Public.________

[F. No. J-09/09/2020-CPU]

ANUPAM MISHRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.12.06 22:24:55 +05'30'